Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सीकर में नगरपालिका वरिष्ठ सहायक 5 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार एवं कब्जे से 27,660 रूपये की संदिग्ध राशि भी जब्त**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *03 फरवरी गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज सीकर में कार्यवाही करते हुये विशाल माथुर वरिष्ठ सहायक नगरपालिका लोसल को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, तथा रिश्वत राशि के अलावा आरोपी के कब्जे से 27,660 रूपये की संदिग्ध राशि भी जब्त की गई है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि नगरपालिका से पट्टा जारी करवाने की एवज में नगरपालिका लोसल के वरिष्ठ सहायक विशाल माथुर द्वारा 5 हजार रूपये बतौर रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी सीकर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री जाकिर अख्तर** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री सुरेशचन्द्र** पुलिस निरीक्षक व टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये विशाल माथुर पुत्र श्री पवन कुमार माथुर निवासी वार्ड नं0 21 मोहल्ला कोट तहसील डीडवाना जिला नागौर हाल वरिष्ठ सहायक नगरपालिका लोसल जिला सीकर को परिवादी से **5 हजार रूपये बतौर** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी के कब्जे से रिश्वत राशि के अलावा 27,660 रूपये की संदिग्ध राशि भी जब्त की गई है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।